



JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

Corporate Identity Number (CIN) -U40109RJ2000SGC016483

Regd. Office: New Power House, Jodhpur- 342003

Phone No : 0291-2746255 : Fax No : 0291-2742228

E-mail: seppmju@gmail.com Web site: www.jdvvn.com

क्रमांक : जोडि/अति.मु.अ. (मु.)/अधी.अभि.(पीपीएम) / जोधपुर/अधि.अभि.(एसएण्डआई)/ फा.कृषि/ प्रे० 1933 दिनांक 30/10/18

स्पष्टीकरण

विषय:- कृषि कनेक्शन नीति-2017 में बिन्दु संख्या 18.3.4.1 एवं 18.3.4.2 के संबंध में।

सन्दर्भ:- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पीपीएम), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर के कार्यलय पत्रांक 925 (आर.ई.ओ. 286) दिनांक 25.10.2018 के संबंध में।

कृषि कनेक्शन नीति-2017 में बिन्दु संख्या 18.3.4.1 एवं 18.3.4.2 में अनुच्छेद 18.2.4 के मीटर्ड एवं फ्लेट रेट उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि लेने के प्रावधान में वर्णित अन्य उच्च श्रेणी उपयोग किया गया भार से पूर्व टाईपिंग की त्रुटि के कारण + चिन्ह अंकित करना रह गया।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषि कनेक्शन नीति-2017 में बिन्दु संख्या 18.3.4.1 में अनुच्छेद 18.2.4 के मीटर्ड रेट उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी :-

18.3.4.1 अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किये गये भार की अनुपातिक युनिट्स X 2 X विद्युत दर (अन्य उच्च श्रेणी) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिए + अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किया गया भार X 2 X स्थाई प्रभार (अन्य उच्च श्रेणी) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिए।

एवं कृषि कनेक्शन नीति-2017 में बिन्दु संख्या 18.3.4.2 में अनुच्छेद 18.2.4 के फ्लेट रेट उपभोक्तों से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी :-

18.3.4.2 अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किया गया भार X 2 X कृषि विद्युत दर (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिए + अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किया गया भार X 2 X स्थाई प्रभार (अन्य उच्च श्रेणी) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिए।

(Handwritten Signature)
30.10.18
(एम.आर. मीणा)

अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर जोन/बीकानेर जोन/बाड़मेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (एएण्डआई/बी एण्ड आर/डब्ल्यू एण्ड एम), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रावैधिक सहायक, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियंता (नगर/ज़िला/पवस/सतर्कता/टीडब्ल्यू/वाणिज्य/एमएम/एमएण्डपी/ बीएफएल), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/सिरोही/जालौर/जैसलमेर/बाड़मेर/ बीकानेर/चुरू/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर को पालनार्थ।
9. अधीक्षण अभियंता (आई.टी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)/उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
11. निजी सचिव- माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
12. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ।
13. जनसंपर्क अधिकारी जोविविनिलि, जोधपुर।

(Handwritten Signature)
30.10.18

अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर